



काट
जिला कलेक्टर,
(लिना बंगी)
काट

1/2

निर्णय आज दिनांक 01.06.2026 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

करे।

अधिकारी कोट को निर्देशित किया जाता है कि जबर्जस्ती सामग्री का नियमानुसार निस्तारण कर ले रखा है। 3.0 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला सख्त कलतः प्रधान पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जबर्जस्ती 01 नम उक्त वर्णित

उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है। उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः दुरुपयोग किया जाने से उक्त केंद्र कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट व्यवसायी द्वारा धरल गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से कार्य से प्रयुक्त कर धरल गैस जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर सखिन्दी दी जाती है को मौके पर

केंद्र के इस्तेमाल है जिनको उक्त सामग्री संपूर्णतः से दी गई है।

है तथा श्री जी भारत गैस ग्रामीण वितरण लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री राजेश सैनी के इस्तेमाल है। संपूर्णतः पर भी इलियास मोहम्मद, मुकेश व राजेश सैनी के इस्तेमाल भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर इलियास मोहम्मद, मुकेश व राजेश जांच करने पर दुरुपयोग स्थल पर मौके पर 01 धरल गैस सिलेण्डर का अवैध धरल गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरुपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा